कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

तकनीकी निविदा प्रपत्र

नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत साईफन नाला सफाई कार्य एवं नाला सफाई हेतु कुशल बेलदार उपलब्ध कराने का कार्य।

फर्म का नाम : ....

अनुमानित राशि :– 22,75,000/–

धरोहर राशि :– 45,500/– ऑनलाईन www.Kotamc.org पर प्राप्त की जावेगी ।

निविदा शुल्क :– 2,500/– ऑनलाईन www.Kotamc.org पर प्राप्त की जावेगी ।

प्रोसेसिंग शुल्क :– 1,500/– ऑनलाईन www.Kotamc.org पर प्राप्त की जावेगी ।

- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) :08/06/24से19/06/24तक (सांय 6.00 बजे तक)
- निविदा अपलोड करने की तिथि :08/06/24से19/06/24तक (सांय 6.00 बजे तक)
- धरोहर राशि/निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www. kotamc.org पर जमा करानी होगी।
- निविदा की तकनीकी बिड खोलने की तिथि :20/06/24 (दोपहर 4.00 बजे)

क्र. सं	तकनीकी बिड़ के साथ निम्न दस्तावेज जो संलग्न करने है।	संलग्न हां/नहीं	संलग्न पेज सं
1	धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवम् प्रोसेसिंग फीस के भुगतान ऑनलाईन www.Kotamc.org पर जमा कराने के Kota MC पोर्टल से जारी रसीद के साक्ष्य की प्रमाणित प्रति।		
2	निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित।		
3	निवास के लिये इनमें से कोई एक (नल/बिजली/टेलिफोन/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।		
4	पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति ।		
5	जी.एस.टी. की प्रमाणित प्रति।		
6	लेबर आपूर्ती कर्ता को लेबर एक्ट के तहत श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमा[णित] प्रति अथवा कार्यादेश से 15 दिवस में में जमा करायें जाने बाबत् रूपये 50/– के [नॉन] ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र।		
7	किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार, निगम बोर्ड, उपापन संस्था द्वारा गत तीन वर्षों में ब्लैक लिस्टेड/डी बार नहीं होने बाबत् रूपये 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र।		
8	संवेदक का नगर निगम कोटा उत्तर के किसी भी महापौर/उपमहापौर/पार्षद/अधिकारी/कर्मचारी से ब्लड रिलेशन नहीं होने बाबत् रूपये 50/– के नॉन ज्यूडिशियलयल स्टाम्प पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र आवश्यक रूप से सलंग्न करना होगा।		
9	संवेदक का वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2022–23 एवं 2023–24 तक का इनकम टेक्स का रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति।		
10	नगर निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/गैर सरकारी (निजी क्षेत्र) में 2 वर्ष का साईफन नाला सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।		
11	ई. पी. एफ एंव ई. एस. आई. के पंजीयन की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। वर्ष 2023 में पंजीकृत होने वाली फर्मो को ई.पी.एफ. विभाग से ऑडिट/इन्सपेक्शन रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी। इस आशय का शपथ पत्र (100 रूपये के स्टाम्प पर) संलग्न करना अनिवार्य है। इससे पूर्व की पंजीकृत फर्मो के बिल प्रस्तुत करते समय ई. पी.एफ. विभाग की ऑडिट/इन्सपेक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का शपथ पत्र (100 रूपये के स्टाम्प पर) निविदा के साथ संलग्न करना होगा।		

नोट :– उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित होने चाहिये।

हस्ताक्षर संवेदक नगर निगम कोटा उत्तर	स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम कोटा उत्तर	उपायुक्त–प्रथम नगर निगम कोटा उत्तर

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

<u>वित्तीय निविदा प्रपत्र</u>

उपायुक्त–प्रथम
नगर निगम कोटा उत्तर

फर्म का नाम : ....

- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) : 08/06/24 से 19/06/24 तक (सांय 6.00 बजे तक)
- निविदा अपलोड करने की तिथि 08/06/24 से 19/06/24 तक (सांय 6.00 बजे तक)
- धरोहर राशि/निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www. kotamc.org पर जमा करानी होगी।
- निविदा/तकनीकी बिड खोलने की तिथि : 20/06/24 (दोपहर 4.00 बजे)
- अनुमानित राशि : 22,75,000/– रूपये
- धरोहर राशि : 45,500/–रूपये
- ऑनलाईन जमा का क्रमांक ....
- राशि ....

Part-(A)

S.NO	PARTICULARS	UNIT	Rate	Amount
1	Provinding and supply Skilled Beldar for nala safai work. (SOR ICON)	3500	510	17,85,000.00
2	Cleaning of syphon including pumping cooper dam, sucking of silt with all scaffolding, shuttering T&P etc. transportation of silt garbage at the point of trenching ground.			-
	syphon of shivaji colony			60,000.00
	syphon of prohit ji ki tapir			70,000.00
	syphon of sundar nagar			60,000.00
	syphon of near ram mandir loco colony			60,000.00
	syphon of mahatma Gandhi colony choraha			1,40,000.00
	syphon of JP colony rangpur road			50,000.00
	syphon of Raypura nala			50,000.00
	TOTAL			22,75,000.00
	Quoted rate in Figure			
	Quoted rate in Word			

नोट :–1. दरो के अतिरिक्त कोई अन्य शर्त मान्य नहीं होगी।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

नाम ....

पता ....

मोबाईल नं0 ....

नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत साईफन नाला सफाई कार्य एवं नाला सफाई हेतु कुशल बेलदार उपलब्ध कराने का कार्य।

–: निविदा शर्ते :–

1. धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवम् प्रोसेसिंग फीस के भुगतान ऑनलाईन **www.Kotamc.org** पर जमा कराने के **Kota MC** पोर्टल से जारी रसीद के साक्ष्य की प्रमाणित प्रति।
2. निविदा दो पार्ट में होगी तकनीकी बिड की फीडिंग अलग होगी तथा वित्तिय बिड की फीडिंग अलग होगी। पहले तकनीकी बिड ओपन की जायेगी। उसका परीक्षण होगा तथा तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
3. फर्म को नगर निगम द्वारा सफाई कार्य किए जाने हेतु साईफन नालों की सूची मय कार्य दिवस दी जावेगी, एवं निगम द्वारा जारी शिड्यूल के अनुसार साईफन नालो की सफाई की जावेंगी।
4. साईफन नालों की सफाई का कार्य का समय प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक होगा। इसमें आवश्कतानुसार आयुक्त/अति० आयुक्त/उपायुक्त द्वारा समय बढाया या कम किया जा सकता है। इसमें दोपहर 1 से 2 बजे तक एक घन्टे का भोजनावकाश होगा।
5. फर्म को साईफन नालों की सफाई से पहले नाले की सफाई करते हुए एवं नाले की सफाई के बाद की फोटोग्राफी एवं विडियो ग्राफी करवानी होगी। यह फोटो बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही कार्य का प्रमाणीकरण सम्बन्धितस्वास्थ्य निरीक्षक, मुख्य स्वास्थय निरीक्षक एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा करवाना होगा। जिसके आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
6. फर्म को आयुक्त, अति० आयुक्त, उपायुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जमादार के निर्देशानुसार नालों की सफाई करानी होगी।
7. फर्म को कार्यादेश जारी होने के 3 दिवस के अन्दर साईफन नालों की सफाई का कार्य प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा 30,000/– प्रतिदिन की शास्ती आरोपित की जा सकेगी।
8. पी.एफ./ई.एस.आई एवं अन्य सरकारी श्रम कानूनों एंव करो के देयता के सबंध में संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगें। साथ ही बिल के साथ ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के चालान की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. निवास पते के प्रमाण स्वरूप नल, बिजली, टेलीफोन के बिल, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, इनमें से कोई एक की फोटो प्रति सलंग्न करनी होगी।
10. निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने/कार्य संतोषप्रद न होने की अवस्था में ठेका निरस्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकेगी।
11. संवेदक का नगर निगम कोटा उत्तर के किसी भी महापौर/उपमहापौर/पार्षद/अधिकारी/कर्मचारी से ब्लड रिलेशन नही होने बाबत् रूपये 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र आवश्यक रूप से सलंग्न करना होगा।
12. किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार, निगम बोर्ड, उपापन संस्था द्वारा गत तीन वर्षों में ब्लैक लिस्टेड/डी बार नहीं होने बाबत् रूपये 50/-- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र।
13. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी नगर निगम कोटा उत्तर में निहित होगा।
14. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
15. किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
16. कार्यादेश प्राप्ति से 3 दिवस में अनुबंध कराना होगा एवं अनुबन्ध के समय निविदा राशि का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी।
17. निगम के हित में अनुबन्ध/कार्यादेश कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
18. अर्नेस्ट मनी निम्न मामलों में जब्त कर ली जावेगी।
    1. जब कार्य आदेश देने के बावजूद निर्देशानुसार कार्य आरम्भ करने में संवेदक असमर्थ रहता है।
    2. निविदादाता निर्धारित अवधि में करार को संपादित नही करता है।
    3. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा के स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस ले लेता है।
    4. निविदा की शर्तो की पालना नही करता है।
    5. सभी विवादो का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।
19. किसी विवाद के लिये अन्तिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी नगर निगम कोटा उत्तर का मान्य होगा।
20. निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने/कार्य संतोषप्रद न होने की अवस्था में ठेका निरस्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकेगी।
21. निविदा दरें समस्त करो चार्जेज सहित दी जावे राज्य सरकार/केन्द्र सरकार लागू शुल्क/करो आदि का भुगतान का दायित्व संवेदक को होगा।

22. निविदा शर्ते सामान्य लेखा वित्तीय नियम एवं राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार रहेगी। सफलतम निविदादाता को सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम एवं राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 की शर्तो की भी पालना करनी होगी एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमानुसार प्रथम अपील प्राधिकारी उपनिदेशक (क्षैत्रीय) स्वायत्त शासन विभाग कोटा एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी निदेशक स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार होंगें। यह संविदा आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं रूल्स 2013 के अधीन होगी। अधिनियमों/नियमों में विरोधाभास होने पर आरटीपीपी एक्ट एण्ड रूल्स सर्वोपरी होगें।

23. कार्य के दौरान कोई विषम परिस्थिति होने पर यदि कार्य बाधित होता है तो सक्षम उपापन समिति कार्य की समीक्षा गुण अवगुण के आधार पर अंतिम निर्णय ले सकेगी।

24. निविदादाता/फर्म/श्रमिकों द्वारा कार्य अवधि में किसी भी कारण से हडताल/कार्य बाधित होने से जन सुविधा के कार्य में बाधा उत्पन्न होने पर निगम द्वारा संबंधित निविदादाता/फर्म को आगामी एक वर्ष के लिए निगम द्वारा जारी किसी भी प्रकार की निविदा में भाग लेने की प्रात्रता समाप्त कर दी जावेगी।

25. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की टूट-फूट (सीवर लाईन, पानी की लाईन, बिजली की लाईन एवं अन्य आवश्यक लाईनो हेतु) के लिये स्वयं संवेदक जिम्मेदार होगा। उपरोक्त में नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा कोई जुर्माना राशि का वहन नही किया जावेगा। उपरोक्त में यदि संवेदक द्वारा तुरन्त प्रभाव से कार्य को दुरूस्त नही करवाया जाता है तो नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा कार्य करवाया जाकर संबंधित राशि संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल में से काटी जावेगी।

<u>नाला सफाई हेतु कुशल बेलदार उपलब्ध कराने का कार्य की अन्य शर्तें</u>।

26. सफाई कार्य प्रतिदिन करना होगा। परन्तु कार्य पर लगाये गये सभी श्रमिकों को क्रमानुसार साप्ताहिक अवकाश देना होगा।

27. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त प्रथम/द्वितीय, स्वास्थ्य अधिकारी को समय-समय पर (साईफन नाला कार्य) बीट्स के निरीक्षण का अधिकार होगा एवं उनके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

28. अन्य शर्ते आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एव सामान्य वित्तीय लेखा नियम तथा नगर पालिका नियमों में शासित होगी। विवाद होने पर आर.टी.पी.पी. एक्ट एण्ड रूल्स सर्वोपरी होंगे।

29. संवेदक को श्रम अधिनियम के अन्तर्गत निहित समस्त प्रावधानों एवं निर्देशों की पालना करनी होगी एवं पी.एफ. का रजिस्ट्रेशन करवा कर श्रमिकों के पी.एफ. के खाते खुलवाने होंगे तथा श्रम विभाग, पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रथम भुगतान से पूर्व करनी होगी।

30. संवेदक को प्रत्येक श्रमिक को रंगीन फ्लोरोसेन्ट जॉकिट उपलब्ध करानी होगी तथा संवेदक का दायित्व होगा कि समस्त श्रमिक फ्लोरोसेन्ट जॉकिट पहन कर ही कार्य करें। बिना फ्लोरोसेन्ट जॉकिट कार्य करते पाए जाने पर मानदेय में कटौती की जा सकेंगी।

31. अर्नेस्ट मनी निम्न मामलों में जब्त कर ली जावेगी –

a) जब कार्यादेश देने के बावजूद उल्लेखित समयावधि में कार्य आरम्भ करने में संवेदक असमर्थ रहता है।

b) निविदादाता निर्धारित अवधि में करार को सम्पादित नही करता है।

c) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा के स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव वापस ले लेता है।

d) निविदा की शर्तों की पालना नही करता है।

32. निविदा स्वीकार/अस्वीकार व मान्य/अमान्य करने अधिकार सक्षम अधिकारी नगर निगम कोटा उत्तर में निहित होगा।

33. निविदा प्राप्ति/खोले जाने की नियत तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस माना जायेगा।

34. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने/कार्य संतोषप्रद न होने की अवस्था में बीच में ही नोटिस देकर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकती है।

35. बीट श्रमिकों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई-बढाई जा सकती है। इसको मानने के लिए संवेदक बाध्य होगा।

36. निविदा में पंजीकृत सहकारी समितियों/श्रमविभाग में पंजीकृत/नगर निगम में पंजीकृत संवेदक ही भाग ले सकता है।

37. फर्म द्वारा नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों/कार्मिक का भुगतान समय पर करने एवं उनके पी.एफ.एवं ई.एस. आई. श्रमिको के खाते में जमा कराने का दायित्व बिडर का होगा। यदि किसी श्रमिक/कार्मिक के खाते में पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा नही होने की स्थिति में किसी भी श्रमिको द्वारा कोई दावा किया जाता है तो उससे संबंधित समस्त उत्तर दायित्व संवेदक को ही वहन करना होगा इस बाबत् उत्पन्न दीवानगी/आपराधिक दायित्यों के लिए संवेदक जिम्मेदार होगा। ठेके के दौरान संवेदक द्वारा श्रम कानून/श्रम विभाग के आदेशों की पालना करनी होगी। अवहेलना करने पर न्यायालय या विभाग द्वारा लगाई गई किसी भी शास्ती/दण्ड के लिये संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

38. राष्ट्रीय सफाई आयोग की नियमावली की पालना संवेदक को सुनिश्चित करनी होगी तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सफाई कार्मिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, बीमा इत्यादि सभी प्रकार के नियमों की पालना के लिए संवेदक व्यक्तिशः जिम्मेदार होगा।
39. श्रमिकों का भुगतान समय पर श्रमिकों के खाते में/बैंक/चेक के माध्यम से करना होगा। बिल प्रस्तुत करते समय पी.एफ., ई.एस.आई. व श्रमिक भुगतान बैंक डिटेल भी साथ प्रस्तुत करने बाद बिल भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
40. ठेकेदार द्वारा वित्तिय प्रपत्र में ही दरे प्रस्तुत की जावें।
41. संवेदक द्वारा का किसी अन्य व्यक्ति संस्था फर्म इत्यादि को किसी भी अवस्था में हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता।
42. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य में लगाये गये श्रमिकों के संबंध में सभी संबंधित अधिनियम/नियम/उपनियम का पालना नही करने पर उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। नगर निगम कोटा उत्तर इस संबंध में उत्तरदायी नही होगा।
43. ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की उम्र 18 वर्ष से उपर व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा।
44. किसी भी दुर्घटना में श्रमिको को हुई क्षति के लिए पूर्ण रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा। अगर किसी वजह से श्रमिक या उसके परिजन न्यायालय में जाते है तो न्यायालय द्वारा आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए नगर निगम की जिम्मेदारी तय की जाती है तो ठेकेदार की अमानत राशि/सुरक्षा गारंटी राशि उनको देय किसी भी भुगतान से कटौती की जायेगी।
45. निगम हित में ठेका कभी भी निरस्त किया जा सकता है तथा निगम द्वारा बिना कारण बताये एक माह का नोटिस दिया जाकर निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर को होगा।
46. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अन्तिम निर्णय निगम प्रशासन का होगा और वह दोनो पक्षो के लिए मान्य होगा। न्यायिक विवाद क्षेत्र कोटा होगा। निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व शर्तों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है। बाद में कोई आपत्ति मान्य नही होगी।
47. संवेदक टेण्डर मे जो दरे प्रस्तुत करेगा उस सभी तरह के कर शामिल होगे निविदा में स्वीकृत दर के अलावा अलग से सवेदक किसी भी प्रकार की राशि की मांग नहीं करेगा एवं सभी राज्य एवं गैर राज्य/केन्द्रीय सरकार के करो का दायित्व स्वयं संवेदक का होगा। सभी प्रकार के करो की देयता दायित्व संवेदक का होगा।
48. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अन्तिम निर्णय निगम प्रशासन का होगा और वह दोनों पक्षो के लिये मान्य होगा। न्यायिक विवाद क्षेत्र कोटा होगा। निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व शर्तो का स्पष्टीकरण प्री बिड मिटिंग में प्राप्त किया जा सकता है बाद में कोई आपति मान्य नहीं होगी।
49. एस.ओ.आर आईटम नं. 0218 एस.ओ.आर 2022 में दरें 510 में समस्त करों एवं ई.पी.एफ, ई.एस.आई. अंशदान व संवेदक का अंशदान सम्मिलित है। संवेदक का यह दायित्व होगा की बिल प्रस्तुत करने से पूर्व कार्मिको का संवेदक को ई.पी.एफ व ई.एस.आई. जमा कराया जाकर चालान एवं पेमेन्ट कर्न्फोमेशन सुची संलग्न करावें।
50. संवेदक को श्रमिक प्रतिदिन सेक्टर नं 05 पर उपलब्ध कराने होगे तथा वहाँ से नालो की सफाई हेतु संबंधित सेक्टर पर स्वयं के स्तर पर पहुँचाने होगे।
51. संवेदक को धरोहर राशि/अमानत राशि 2 प्रतिशत जमा करवाना अनिवार्य होगा।

मैने सलंग्न शर्तो,निर्देशो का भली भांति अध्ययन
कर लिया है , मैं उक्त से सहमत हूँ ,
एंव पालन करूगां।

हस्ताक्षर संवेदक :–..............................

नाम. :– ....

पता :– ....

फोन नं./मोबाईल नं. :– ....

उपायुक्त–प्रथम
नगर निगम कोटा उत्तर